न्यायालयः—कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

//दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक/ /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2017 दुर्ग,दिनाँक 22/06/2017

मैं कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1)एवं 15(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करती हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02	03	04
01	कुं0स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः— 1—दुर्ग,2—मोहन नगर, 3—सुपेला, 4—जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, 5—यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई, 6—समस्त आबकारी विभाग	(1) कॉलम क्रमांक—3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई से नगर पालिका अधिनियम के तहत् पेश सभी दांडिक मामलों, परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (4) माननीय उच्च न्यायालय के

			अधिसूचना क्रमांक 5021, तीन 7–7/2005 बिलासपुर दिनाँकः–19.10.2005 के अनुसार सिविल जिला दुर्ग एवं राजनांदगाँव से उत्पन्नः– (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम–1944, (2) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम–1992, (3) कम्पनी अधिनियम–1956, (4) धनकर अधिनियम–1957, (5) दानकर अधिनियम–1958, (6) आयकर अधिनियम–1961, (7) सीमा शुल्क अधिनियम–1962, (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम–1963, (9) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम–1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम–1969, (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम–1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। (6) दुर्ग मुख्यालय के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (7) दुर्ग राजस्व जिला से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, विभाग द्वारा पेश समस्त

			अभियोग पत्र का निराकरण करना। (8) राजस्व जिले दुर्ग के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (9) दुर्ग राजस्व जिले से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (10) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
02	श्री मोहन सिंह कोर्राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1–छावनी 2–पुलगॉव	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में

			संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है)। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
03	श्री बलराम देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1.खुर्सीपार, 2.भिलाई भटठी, 3.नंदनी	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना, (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।

			(3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
04	श्रीमती अर्चना भास्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग/ प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (2) राजस्व जिला दुर्ग में स्थित थाना क्षेत्रों से उदभूत होने वाले अपचारी बालकों से संबंधित मामलों का निराकरण करना।
05	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्दः– 1–नेवई 2–भिलाई नगर 3– ए0जे0के0	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं

			संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
06	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1–धमधा 2– महिला थाना,	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
07	श्री प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्रः– 1– जामुल	(1) (कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित

	प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	2– अण्डा	थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
08	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, छावनी, मोहन नगर, सुपेला, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, भिलाई नगर, जामुल, भिलाई भटठी, नेवई, पुलगॉव, उतई, महिला थाना, ए0जे0के0 थाना, खुर्सीपार, धमधा, बोरी, अण्डा, नंदिनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 354 एवं 509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं

			मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
09	कु0 बरखा रानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्रः– 1. दुर्ग 2. जी0आर0पी दुर्ग एवं भिलाई 3. उतई 4. मोहन नगर 5.छावनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट)से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना सुपेला व जी0आर0पी0 भिलाई एवं दुर्ग के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।
10	कु0 तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्र :– 1. सुपेला, 2. भिलाई नगर, 3. नंदिनी, 4. बोरी 5. खुर्सीपार के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			(2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना दुर्ग के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।
11	कु0 खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्र 1. जामुल, 2.पुलगाँव 3.नेवई, 4. अण्डा 5. धमधा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना मोहन नगर के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।
12	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग		(1) आरक्षी केन्द्र भिलाई भट्ठी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने

	(छ0ग0)		वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
13	कु0 जसविंदर कौर आजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1–बोरी 2–उतई	(कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना, (उन मामलों को छोडकर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश,

			दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
14	श्रीमती सुषमा लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई, रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरण) ।	(1) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत् निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
15	कु0 रूपल अग्रवाल,	आरक्षी केन्द्र :–	(1) (कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	कुम्हारी	थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत् निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
16	श्रीमती विभा पाण्डे मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :– भिलाई–3 तथा अमलेश्वर	(1) (कॉलम क्रमांक–3 में क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।

			(2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत् निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

// आवश्यक दिशा निर्देश //

(1) दुर्ग जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय (Mobile court) लगा सकेंगे।

(2) दुर्ग मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

(3) धारा 164 दं0प्र0स0ं के तहत् साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट ''ए'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

(4) पाक्सो एक्ट के तहत् धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

(5) राजस्व जिला दुर्ग से उद्भूत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग परिशिष्ट '' सी'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

(6) दुर्ग जिला के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आबंटित आरक्षी केन्द्र वाले न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होंगे।

(7) दुर्ग जिला के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी संबंधी कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा की जाएगी।

(8) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का

अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था परिशिष्ट ''डी'' में स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्रमानुसार स्तम्भ क्रमांक 3, 4, 5, से 16 तक में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(9) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में ना हो अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो, तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो वहाँ परिशिष्ट''बी'' के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(10) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(11) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

कु0 स्मिता रत्नावत,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालयः—कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक / / दां.का.वि. / सी0जे0एम0 / 2017 दुर्ग,दिनाँक .. / 06 / 2017

प्रतिलिपिः—

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

(2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित।

(3) माननीय श्री / श्रीमती / कु0 ....., अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) श्री/श्रीमती/कु0 ....., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(5) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(6) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें।

(7) आयुक्त, आयकर विभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(8) आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(10) जिला खाद्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(11) डी0एफ0ओ0, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(12) जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।

(13) सचिव, अधिवक्ता संघ, दुर्ग/भिलाई–3/पाटन को सूचनार्थ प्रेषित ।

(14) जिला अभियोजन अधिकारी,दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कु0 स्मिता रत्नावत,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// परिशिष्ट 'ए' //

धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना		
क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्री मोहन सिंह कोर्राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	जामुल एवं ए0जे0के0
02	कुं चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	अण्डा

03	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	महिला थाना
04	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	सुपेला एवं बोरी
05	कु0 बरखा रानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई
06	श्री प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	पुलगाँव एवं भिलाई नगर
07	कुं0 तनूश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	मोहन नगर एवं नेवई
08	श्री बलराम देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्गजिला–दुर्ग (छ0ग0)	धमधा एवं उतई
09	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	छावनी एवं नंदिनी
10	कुं0 खिलेश्वरी सिन्हा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	दुर्ग एवं खुर्सीपार
11	कु0 जसविंदर कौर अजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	भिलाई भटठी

12	श्रीमती विभा पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3	कुम्हारी, रानीतराई, रनचिरई उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण)
13	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	भिलाई–3,पाटन, अमलेश्वर

कु0 स्मिता रत्नावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// परिशिष्ट बी //

लैंगिक अपराधों (POCSO ACT) के अपराधों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियॉ कालम नंबर 2 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट व्दारा कालम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उदभूत अपराधों में दर्ज की जावेगी ।

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	सुपेला एवं खुर्सीपार।
02	कु0 जसविंदर कौर आजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	दुर्ग, भिलाई भटठी एवं धमधा ।
03	कु0 खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	छावनी, जामुल एवं नंदिनी ।
04	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	मोहन नगर,नेवई एवं पुलगाँव ।
05	कु0 तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	महिला थाना, बोरी, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई
06	कु0 बरखारानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	भिलाई नगर, उतई, अण्डा, एवं ए0जे0के0
07	कु0 रूपल अग्रवाल,	भिलाई–3 पाटन व अमलेश्वर।

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	
08	श्रीमती विभा पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र, कुम्हारी, रानीतराई,रनचिरई, तथा उतई (राजस्व तहसील पाटन के अंतर्गत उदभूत प्रकरण)

कु0 स्मिता रत्नावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// परिशिष्ट सी //

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना।

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्राधिकार से उद्भूत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना।

कु0 स्मिता रत्नावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालयः—कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

//दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक/ /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2017 दुर्ग,दिनाँक 22/06/2017

मैं कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1)एवं 15(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करती हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02	03	04
01	कुं0स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः— 1—दुर्ग,2—मोहन नगर, 3—सुपेला, 4—जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, 5—यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई, 6—समस्त आबकारी विभाग	(1) कॉलम क्रमांक—3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई से नगर पालिका अधिनियम के तहत् पेश सभी दांडिक मामलों, परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण

			करना। (4) माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रमांक 5021, तीन 7–7/2005 बिलासपुर दिनाँकः–19.10.2005 के अनुसार सिविल जिला दुर्ग एवं राजनांदगाँव से उत्पन्नः– (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम–1944, (2) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम–1992, (3) कम्पनी अधिनियम–1956, (4) धनकर अधिनियम–1957, (5) दानकर अधिनियम–1958, (6) आयकर अधिनियम–1961, (7) सीमा शुल्क अधिनियम–1962, (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम–1963, (9) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम–1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम–1969, (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम–1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। (6) दुर्ग मुख्यालय के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			(7) दुर्ग राजस्व जिला से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना। (8) राजस्व जिले दुर्ग के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (9) दुर्ग राजस्व जिले से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (10) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
02	श्री मोहन सिंह कोर्राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग,	आरक्षी केन्द्रः– 1–छावनी 2–पुलगॉव	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो

	जिला–दुर्ग (छ0ग0)		को छोड़कर) का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है)। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
03	श्री बलराम देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1.खुर्सीपार, 2.भिलाई भटठी, 3.नंदनी	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना, (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के

			तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
04	श्रीमती अर्चना भास्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग/ प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (2) राजस्व जिला दुर्ग में स्थित थाना क्षेत्रों से उदभूत होने वाले अपचारी बालकों से संबंधित मामलों का निराकरण करना।
05	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्दः– 1–नेवई 2–भिलाई नगर 3– ए0जे0के0	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।

			(3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
06	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1–धमधा 2– महिला थाना,	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

07	श्री प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1– जामुल 2– अण्डा	(1) (कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
08	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, छावनी, मोहन नगर, सुपेला, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, भिलाई नगर, जामुल, भिलाई भटठी, नेवई, पुलगॉव, उतई, महिला थाना, ए0जे0के0 थाना, खुर्सीपार, धमधा, बोरी, अण्डा, नंदिनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 354 एवं 509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का

			निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
09	कु0 बरखा रानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्रः– 1. दुर्ग 2. जी0आर0पी दुर्ग एवं भिलाई 3. उतई 4. मोहन नगर 5.छावनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट)से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना सुपेला व जी0आर0पी0 भिलाई एवं दुर्ग के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।
10	कु0 तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्र :– 1. सुपेला, 2. भिलाई नगर, 3. नंदिनी, 4. बोरी 5. खुर्सीपार के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम

			(एन0आई0 एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना दुर्ग के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।
11	कु0 खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		(1) आरक्षी केन्द्र 1. जामुल, 2.पुलगाँव 3.नेवई, 4. अण्डा 5. धमधा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। 3–थाना मोहन नगर के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।
12	श्री भगवान दास		(1) आरक्षी केन्द्र

	पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)		भिलाई भट्ठी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0 एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
13	कु0 जसविंदर कौर आजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्रः– 1–बोरी 2–उतई	(कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलो को छोड़कर) का निराकरण करना, (उन मामलों को छोडकर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं

			संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
14	श्रीमती सुषमा लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई, रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरण) । ग्राम–जामगॉव(एम) ,घुघवा,जमराव, करगा,कोपेडीह, महुदा,उफरा ,कापसी,झींठ खुडमुडा,गुरूवाईन डीह,	(1) आबंटित थाना एवं थाना अमलेश्वरके ग्राम ग्राम–जामगॉव(एम), घुघवा,जमराव,करगा,कोपेडीह, महुदा,उफरा,कापसी,झींठ खुडमुडा , गुरूवाईनडीह, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत् निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा

			समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
15	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :– कुम्हारी	(1) (कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत् निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

16	श्रीमती विभा पाण्डे मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :– भिलाई–3 तथा अमलेश्वर ग्राम थाना अमलेश्वर, मटिया, भोथली, मगरघाट,पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर, खम्हरिया, बटंग,भाठागॉव,गभरा, अमलीडीह, कुरूदडीह	(1) (कॉलम क्रमांक–3 में एवं ग्राम थाना अमलेश्वर, मटिया, भोथली, मगरघाट,पांहदा,ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर, खम्हरिया,बटंग,भाठागॉव,गभरा,थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का विधिवत् निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

// आवश्यक दिशा निर्देश //

(1) दुर्ग जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय (Mobile court) लगा सकेंगे।

(2) दुर्ग मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

(3) धारा 164 दं0प्र0स0 के तहत् साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट ''ए'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

(4) पाक्सो एक्ट के तहत् धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

(5) राजस्व जिला दुर्ग से उद्भूत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग परिशिष्ट '' सी'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

(6) दुर्ग जिला के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आबंटित आरक्षी केन्द्र वाले न्यायालय में कार्यवाही

हेतु प्रस्तुत होंगे।

(7) दुर्ग जिला के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी संबंधी कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा की जाएगी।

(8) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था परिशिष्ट ''डी'' में स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्रमानुसार स्तम्भ क्रमांक 3, 4, 5, से 16 तक में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(9) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में ना हो अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो, तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो वहाँ परिशिष्ट''बी'' के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(10) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(11) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

कु0 स्मिता रत्नावत,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालयः—कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक/ /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2017 दुर्ग,दिनाँक ../06/2017

प्रतिलिपिः—

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

(2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित।

(3) माननीय श्री/श्रीमती/कु0 ....., अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) श्री/श्रीमती/कु0 ....., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(5) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(6) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें।

(7) आयुक्त, आयकर विभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(8) आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(10) जिला खाद्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(11) डी0एफ0ओ0, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(12) जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।

(13) सचिव, अधिवक्ता संघ, दुर्ग/भिलाई—3/पाटन को सूचनार्थ प्रेषित ।

(14) जिला अभियोजन अधिकारी,दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कु0 स्मिता रत्नावत,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// परिशिष्ट 'ए' //

धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना		
क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्री मोहन सिंह कोर्राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	जामुल एवं ए0जे0के0
02	कुं चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	अण्डा
03	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	महिला थाना
04	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	सुपेला एवं बोरी
05	कु0 बरखा रानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई
06	श्री प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	पुलगाँव एवं भिलाई नगर
07	कुं0 तनूश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	मोहन नगर एवं नेवई
08	श्री बलराम देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्गजिला–दुर्ग (छ0ग0)	धमधा एवं उतई

09	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	छावनी एवं नंदिनी
10	कुं0 खिलेश्वरी सिन्हा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	दुर्ग एवं खुर्सीपार
11	कु0 जसविंदर कौर अजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	भिलाई भटठी
12	श्रीमती विभा पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3	कुम्हारी, रानीतराई, रनचिरई उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण)
13	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	भिलाई–3,पाटन, अमलेश्वर

कु0 स्मिता रत्नावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// परिशिष्ट बी //

लैंगिक अपराधों (POCSO ACT) के अपराधों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियॉ कालम नंबर 2 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट व्दारा कालम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उदभूत अपराधों में दर्ज की जावेगी ।

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	सुपेला एवं खुर्सीपार।
02	कु0 जसविंदर कौर आजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	दुर्ग, भिलाई भटठी एवं धमधा ।
03	कु0 खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	छावनी, जामुल एवं नंदिनी ।
04	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	मोहन नगर,नेवई एवं पुलगाँव ।
05	कु0 तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	महिला थाना, बोरी, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई
06	कु0 बरखारानी कसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	भिलाई नगर, उतई, अण्डा, एवं ए0जे0के0
07	कु0 रूपल अग्रवाल,	भिलाई–3 पाटन व अमलेश्वर।

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	
08	श्रीमती विभा पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र, कुम्हारी, रानीतराई,रनचिरई, तथा उतई (राजस्व तहसील पाटन के अंतर्गत उदभूत प्रकरण)

कु0 स्मिता रत्नावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

// परिशिष्ट सी //

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् कथन एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना।

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0)	राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्राधिकार से उद्भूत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना।

कु0 स्मिता रत्नावत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

–:राजस्व जिला दुर्ग के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सूचीः–

क्रमांक	आरक्षी केन्द्र का नाम
01	आरक्षी केन्द्र दुर्ग
02	आरक्षी केन्द्र मोहन नगर
03	आरक्षी केन्द्र सुपेला
04	आरक्षी केन्द्र छावनी,
05	आरक्षी केन्द्र पुलगाँव
06	आरक्षी केन्द्र धमधा
07	आरक्षी केन्द्र नंदिनी
08	आरक्षी केन्द्र बोरी
09	आरक्षी केन्द्र भिलाई नगर
10	आरक्षी केन्द्र भिलाई भटठी
11	आरक्षी केन्द्र खुर्सीपार
12	आरक्षी केन्द्र नेवई
13	आरक्षी केन्द्र थाना ए0जे0के0
14	आरक्षी केन्द्र महिला थाना
15	आरक्षी केन्द्र अण्डा
16	आरक्षी केन्द्र उतई
17	आरक्षी केन्द्र जामुल
18	शासकीय रेल पुलिस भिलाई (चौकी दुर्ग एवं चरोदा)
19	आरक्षी केन्द्र भिलाई–3
20	आरक्षी केन्द्र कुम्हारी
21	आरक्षी केन्द्र अमलेश्वर
22	आरक्षी केन्द्र पाटन

23	आरक्षी केन्द्र रानीतराई
24	आरक्षी केन्द्र रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर

—:न्यायिक अधिकारीगण को आबंटित थाना की सूचीः—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	आबंटित थाना
01	कुं0 स्मिता रत्नावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1—दुर्ग 2—मोहन नगर, 3—सुपेला, 4—जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, 5—यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई 6—समस्त आबकारी विभाग
02	श्री मोहन सिंह कोर्राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1—छावनी, 2— पुलगॉव
03	श्री बलराम देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1—खुर्सीपार, 2—भिलाई भटठी 3—नंदनी
04	श्री गिरीश मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1—नेवई 2— भिलाई नगर 3—ए0जेके0
05	कु0 नेहा यति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1—धमधा,2— महिला थाना,
06	श्री प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1— जामुल 2— अण्डा
07	कु0 जसविंदर कौर आजमानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	1—बोरी 2—उतई
08	श्रीमती सुषमा लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण)
09	श्रीमती विभा पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई—3, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र भिलाई—3,
10	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई—3, जिला—दुर्ग (छ0ग0)	कुम्हारी तथा अमलेश्वर